कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1452 /14–1, दिनांकःअलीगढ़,अक्टूबर 31 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं 30, ग्राम–दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के **Ex-post facto aporoval** हेतु प्रभावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 782/11–सी–एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 17.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने पत्र संख्या 1562/14–10 दिनांक 24.10.2019 द्वारा इस कार्यालय को संस्तुति सहित प्रेषित किये गये है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित आख्या के आधार पर आपत्तियों का निम्नप्रकार निराकरण कर वांछित अभिलेख 03 प्रति में संस्तुति सहित प्रेषित है।

	Observation	Status of Reply
1	पृष्ठ संख्या–51 पर सलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन में प्रस्तावित स्थल त्रुटिपूर्ण अंकित है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में प्रस्तावित स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित कर, संशोधित प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज त्रुटिपूर्ण आगणित किा गया है तथा H2 Case न Compounding किया गया है न ही न्यायालय को संदर्भित किया गया है। यदि Compound किया गया हो विस्तृत विवरण भेजें।	उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज में आवश्यक संशोधन कर संशाधित पेनल्टी की गणना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–2) H2 Case मा0 न्यायालय को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 265/35–3–3 दिनांक 20.07. 2018 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया है। जिसको H2 Case रजिस्टर में अंकित कर, सूचना संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक–3)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनयकृष्ण मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1452/14–1 दिनांकित।

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन0एच0.24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला–मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनयकृष्ण मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii